

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 174/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, ग्यारवीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत
राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती ज्योति विवेक गौड पत्नी श्री विवेक गौड

पता :- प्लॉट नम्बर डी-12, जनकपुरी, पाच्यावाला, सिरसी रोड, जयपुर।

एवं प्लेट नम्बर ई-सी/द्वितीय/30, द्वितीय तल, ब्लॉक-सी, खसरा नम्बर 168, 169, 171, 172,
173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1, 78/2111
ग्राम बीलवाकला, योजना वसुन्धरा कुटुम्ब, चौखी ढाणी के पास, टोंक रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर।
एवं 165/ए-31, पत्रकार सीएचएस, लिमिटेड कुर्ला टरमीनस, न्यू तिलक नगर, चैबूर, मुम्बई,
महाराष्ट्र।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act. 2002.

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री हितेश कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 21.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुर्नभुगतान हेतु दिनांक 12.06.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती ज्योति विवेक गौड के स्वामित्व की सम्पति खसरा नम्बर 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1, 78/2111 ग्राम बीलवाकला, तहसील सांगानेर, जयपुर पर स्थित ई-सी/द्वितीय/30, द्वितीय तल, वसुन्धरा कुटुम्ब, चौखी ढाणी के पास क्षेत्रफल 350 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि 05,19,028/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,19,028/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 02,93,125/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती ज्योति विवेक गौड के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति खसरा नम्बर 168, 169, 171, 172, 173, 174/1, 175/1, 176/1, 80, 164/2117, 79, 81, 82/2112, 83, 87, 79/1, 78/2111 ग्राम बीलवाकला, तहसील सांगानेर, जयपुर पर स्थित ई-सी/द्वितीय/30, द्वितीय तल, वसुन्धरा कुटुम्ब, चौखी ढाणी के पास क्षेत्रफल 350 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर